



प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,

मुद्रण एवं लेखन सामग्री,

उ०प्र० प्रयागराज ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 09 अप्रैल, 2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-2026 में अनुदान संख्या-8 के (राजस्व लेखा) लेखाशीर्ष 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण 103-सरकारी मुद्रणालय 03-राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-बी०एस०-01-बजट/2025 दिनांक 03-04-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-8 (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के (राजस्व लेखा) लेखाशीर्ष 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण 103-सरकारी मुद्रणालय 03-राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज के अन्तर्गत विभिन्न मदों में बजट प्राविधानित कुल धनराशि ₹0 1,18,46,05,000/- (रुपये एक अरब अठारह करोड़ छियालीस लाख पाँच हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति उल्लिखित विवरण के अनुसार निम्नलिखित नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्त / प्रतिबन्धों

- (1) वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में व्यावस्थित/स्वीकृत धनराशि केवल चालू योजनाओं पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों/अन्य प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (2) उपर्युक्त धनराशि का व्यय एतदविषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 द्वारा निर्गत शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

जायेगा तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।

(3) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार की व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार मासिक आधार पर किया जायेगा। निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री द्वारा व्यय का विवरण मासिक आधार पर वित्त विभाग/औद्योगिक विकास विभाग तथा महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो बचत की धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्षक: 2058001030300** (राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	01 वेतन
			68,25,00,000 (रुपये अड़सठ करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
2	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	02 मजदूरी
			50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
3	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	03 मंहगाई भत्ता
			40,95,00,000 (रुपये चालीस करोड़ पंचानबे लाख मात्र)
4	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	04 यात्रा व्यय
			5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
5	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय
			1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
6	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	06 अन्य भत्ते
			6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
7	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	07 मानदेय
			1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

8	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	08 कार्यालय व्यय	32,00,000 (रुपये बत्तीस लाख मात्र)
9	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	10 जलकर / जल प्रभार	75,00,000 (रुपये पचहतर लाख मात्र)
10	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
11	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
12	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	13 टेलीफोन पर व्यय	80,000 (रुपये अस्सी हजार मात्र)
13	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
14	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2,75,000 (रुपये दो लाख पचहतर हजार मात्र)
15	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	17 किराया, उपशुल्क और कर- स्वामिस्व	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
16	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	29 अनुरक्षण	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
17	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	39 औषधि तथा रसायन	1,20,000 (रुपये एक लाख बीस हजार मात्र)
18	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	40 औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
19	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	42 अन्य व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
20	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	65,00,000 (रुपये पैसठ लाख मात्र)
21	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
22	008	2058001030300	45	50,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	अवकाश यात्रा व्यय	(रुपये पचास हजार मात्र)
23	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
24	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	49 चिकित्सा व्यय	70,00,000 (रुपये सत्तर लाख मात्र)
25	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	51 वर्दी व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
26	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	55 मकान किराया भत्ता	4,50,00,000 (रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र)
27	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
	कुल			1,18,46,05,000 (रुपये एक अरब अठारह करोड़ छियालीस लाख पाँच हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)

उप सचिव ।

संख्या यथोक्त तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
- 3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज ।
- 5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज ।
- 6- नोडल अधिकारी/उप सचिव, बजट एलाटमेंट सिस्टम, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
- 7- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज ।
- 8- लेखाधिकारी, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
11- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(निर्मल कुमल शुक्ल)
उप सचिव ।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।